VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

केंद्रीय बजट 2025-26 का सारांश

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

बजट क्या है?

भारतीय बजट के बारे में

संवैधानिक स्थिति

संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, बजट को सरकार के **वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement)** के रूप में जाना जाता है।

नोटः गौरतलब है कि संविधान में **"बजट" शब्द का उल्लेख** नहीं किया गया है।

परिभाषा

यह एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है।

दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक कार्य विभाग (DEA) बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार विभाग है।

भारत में बजट का इतिहास

स्वतंत्रता से पहले

7 अप्रैल, 1860

जेम्स विल्सन ने भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। वे इंडियन काउंसिल में **वित्तीय मामलों के सदस्य** थे।

स्वतंत्रता के बाद

1947-48

अंतरिम सरकार के सदस्य **लियाकत अली खान ने 1947-48 का बजट** प्रस्तुत किया था।

26 नवंबर, 1947

स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट भारत के पहले वित्त मंत्री श्री **आर.के. षणमुखम चेट्टी** ने पेश किया था।

बजट प्रक्रिया

1. बजट की प्रस्तुति
2. संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा
3. स्थायी समितियों द्वारा अलग-अलग मंत्रालयों की अनुदान-मांगों की जांच
4. अनुदान-मांगों पर लोक सभा में विस्तृत चर्चा और मतदान
5. विनियोग और वित्त विधेयक पारित

बजट का वर्गीकरण

राजस्व बजट

इसमें शामिल हैं:
- कर राजस्व प्राप्तियां
- गैर-कर राजस्व प्राप्तियां
- सरकारी व्यय

पूंजीगत बजट

इसमें शामिल हैं:
- पूंजीगत प्राप्तियां
- पूंजीगत भुगतान

बजट के दो भाग

भाग A

बजट का व्यापक यानी समष्टि अर्थशास्त्रीय हिस्सा:
- सरकारी योजनाएं
- क्षेत्रकवार प्राथमिकताएं
- संसाधन आवंटन

भाग B

वित्त विधेयक:
- कराधान का प्रस्ताव
- आयकर में संशोधन
- अप्रत्यक्ष कर में बदलाव

बजट से संबंधित प्रमुख दस्तावेज

वित्त मंत्री के **बजट भाषण के अलावा संसद में निम्नलिखित दस्तावेज** प्रस्तुत किए जाते हैं-
- वार्षिक वित्तीय विवरण (संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत),
- अनुदान मांगें (अनुच्छेद 113 के तहत),
- वित्त विधेयक (अनुच्छेद 110 के तहत)
- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अधिदेशित राजकोषीय नीति विवरण:
  - मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट
  - मध्यावधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण

विवरण प्रदान करने वाले अन्य दस्तावेज

- व्यय बजट
- प्राप्ति बजट
- व्यय की रूपरेखा
- बजट एक नजर में
- वित्त विधेयक में प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन
- आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क
- बजट 2025-26 की प्रमुख विशेषताएं

बजट 2025-26 एक नज़र में
थीम: "सबका विकास"

प्राप्तियां

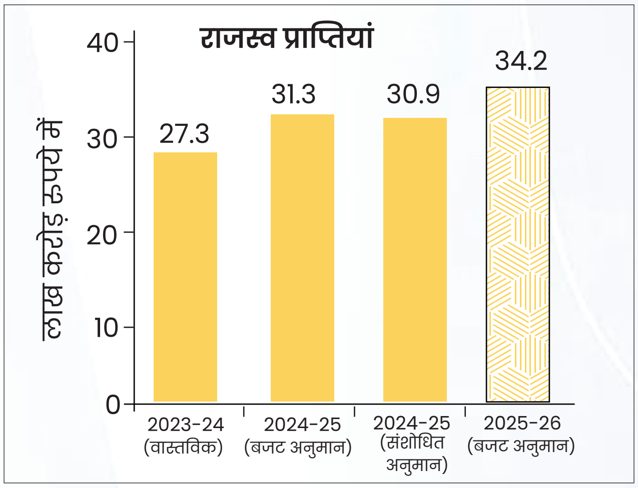

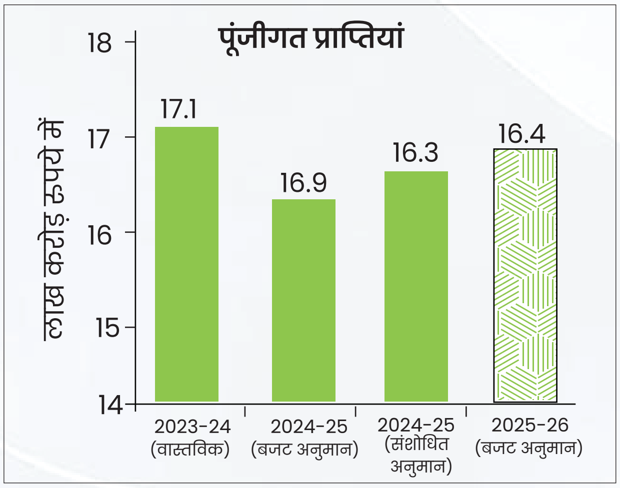

व्यय

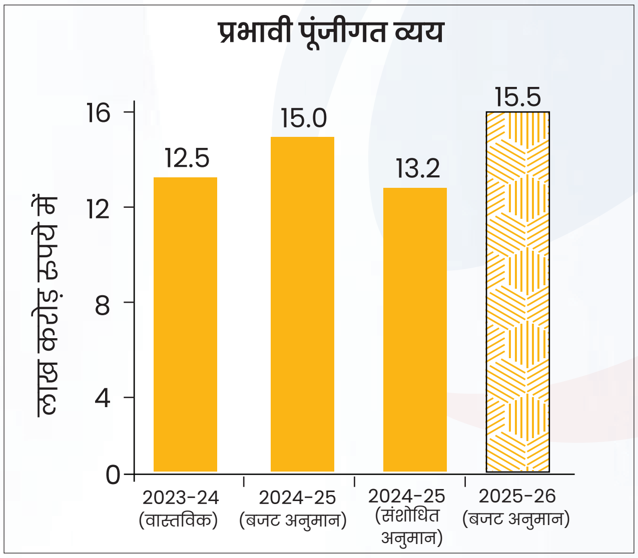

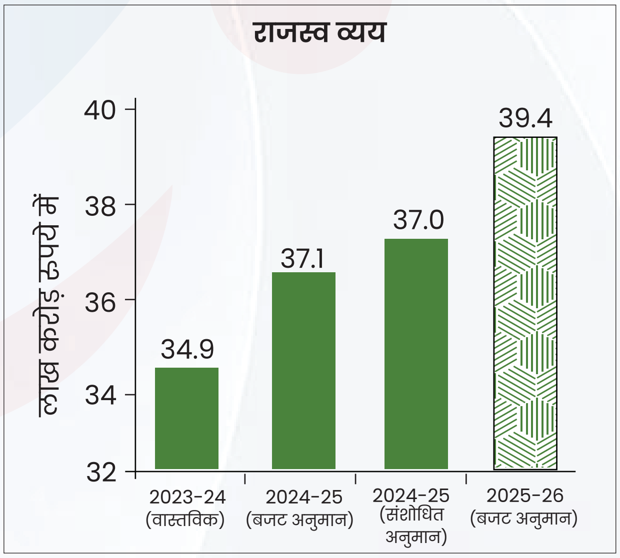

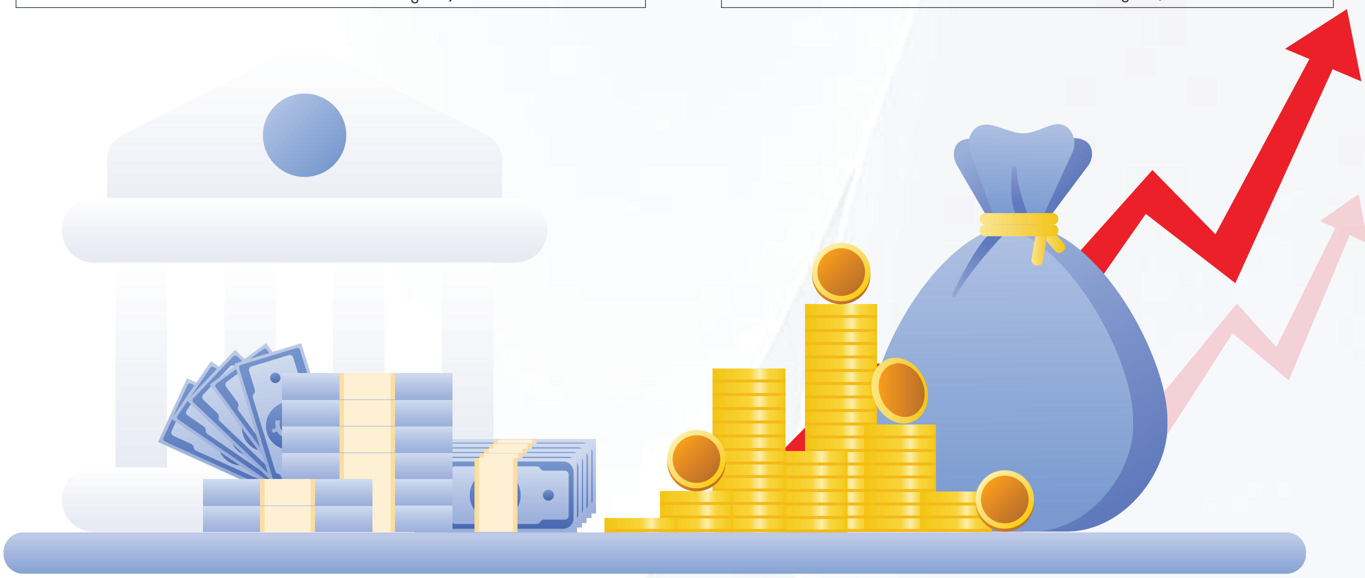

घाटे से जुड़े रुझान

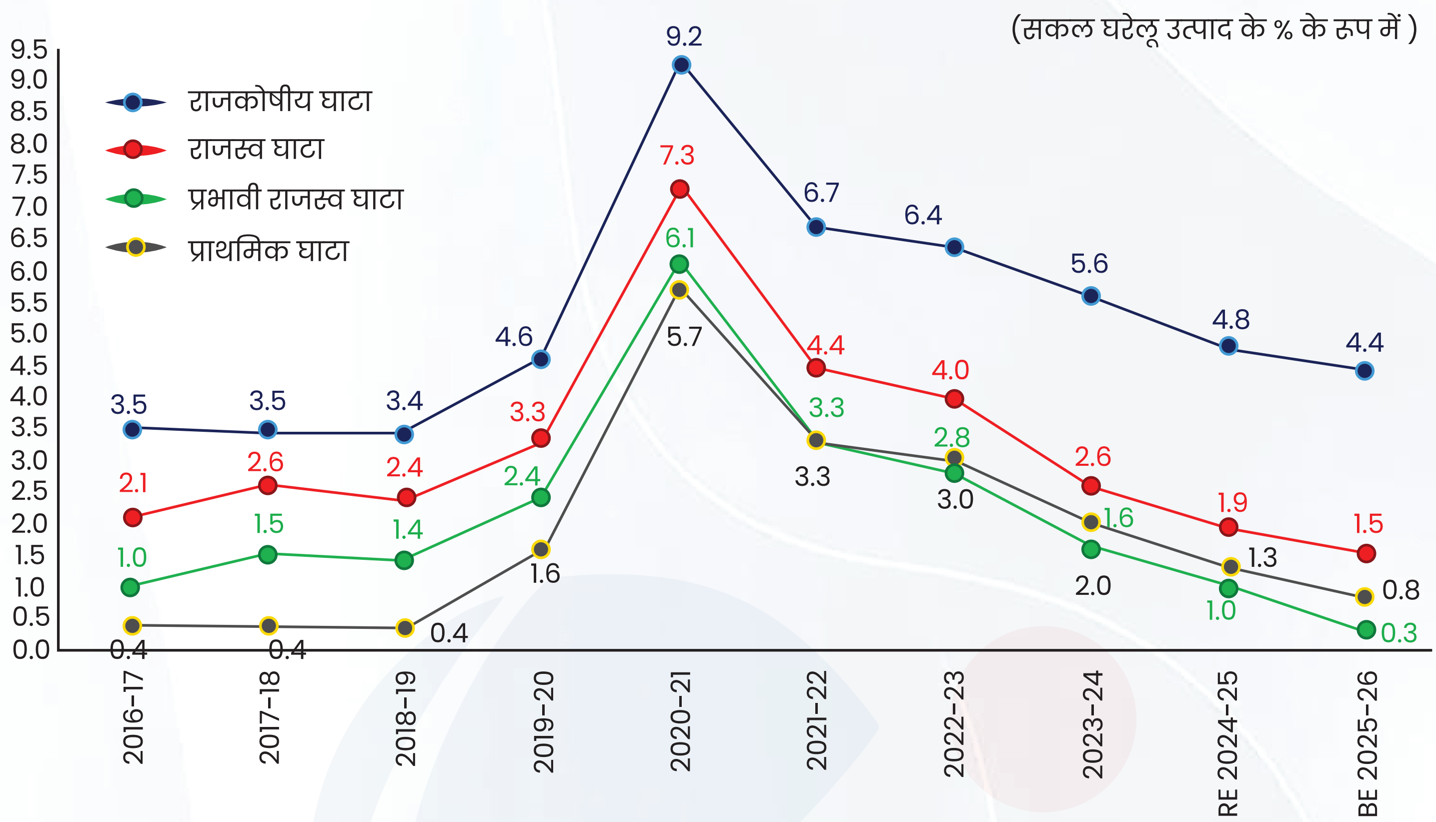

पूंजीगत व्यय (CapEx) के रुझान

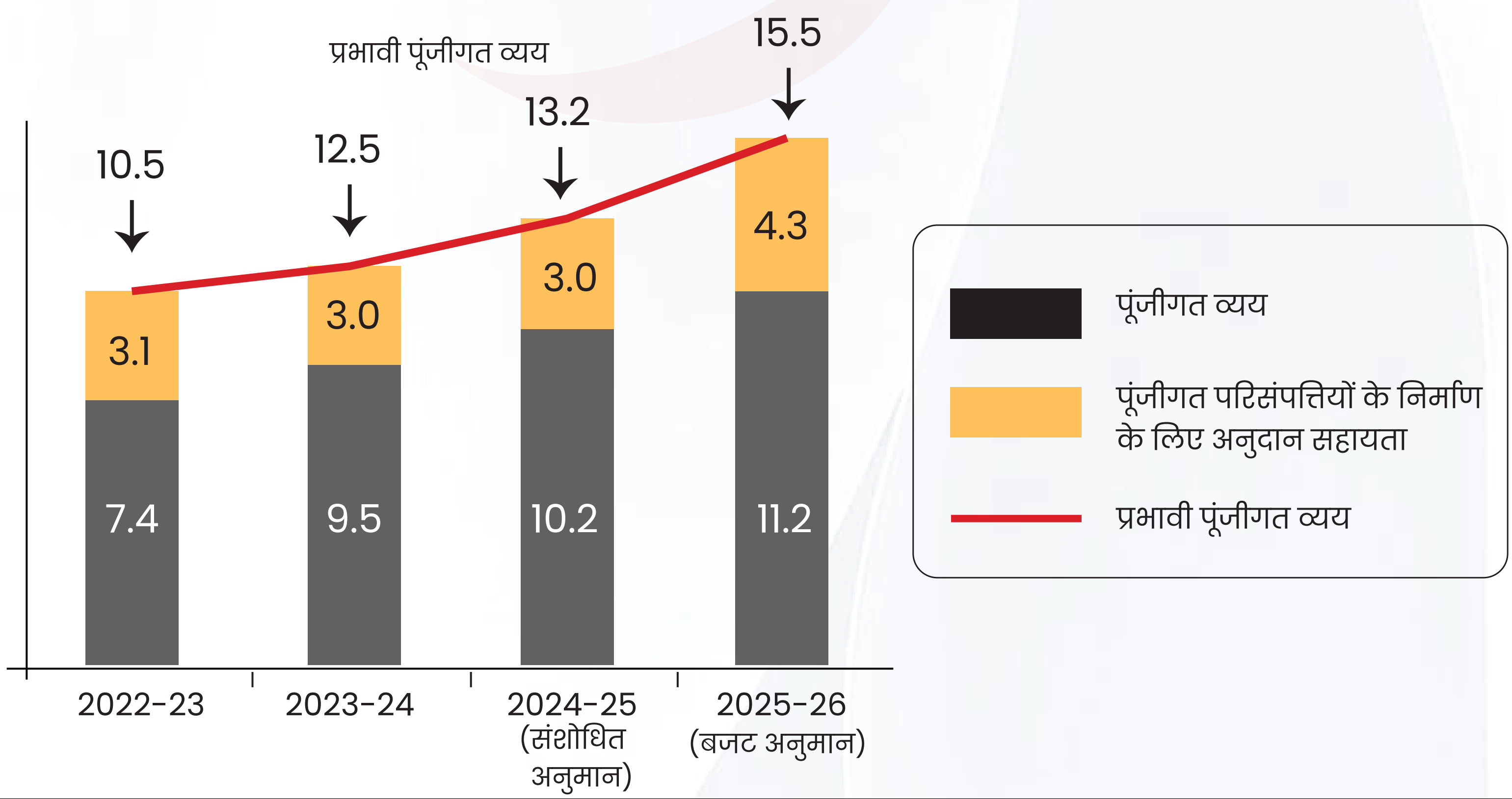

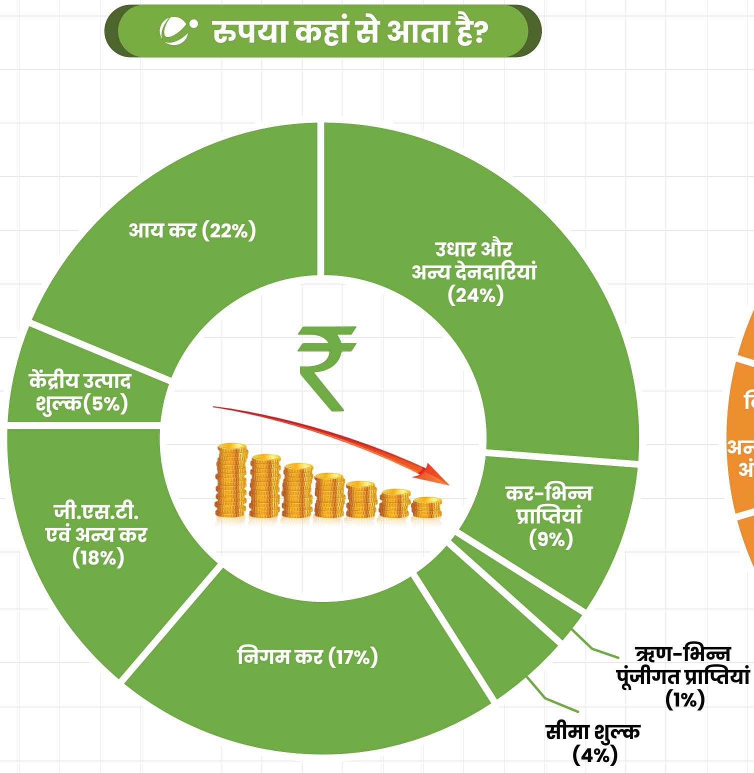

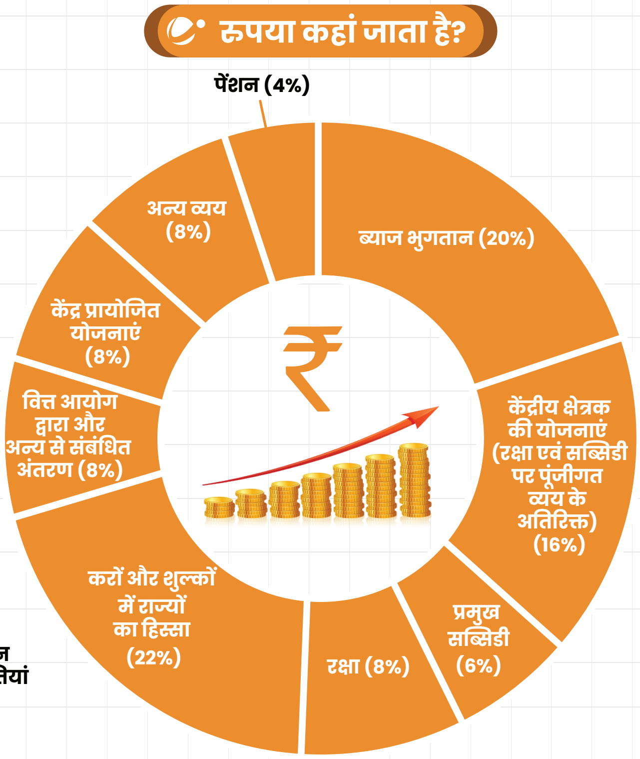

प्रमुख मदों का व्यय

रक्षा	4,91,732
ग्रामीण विकास	2,66,817
गृह मामले	2,33,211
कृषि और संबद्ध गतिविधियां	1,71,437
शिक्षा	1,28,650
स्वास्थ्य	98,311
शहरी विकास	96,777
आई.टी. और दूरसंचार	95,298
ऊर्जा	81,174
वाणिज्य और उद्योग	65,553
समाज कल्याण	60,052
वैज्ञानिक विभाग	55,679

करोड़ रुपये में

भाग A

केंद्रीय बजट में रेखांकित विकास यात्रा

विकास के इंजन

- कृषि
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)
- निवेश
- निर्यात

ईंधन के रूप में: सुधार

प्रेरक शक्ति: समावेशिता

गंतव्य: विकसित भारत

विकसित भारत के व्यापक सिद्धांत

- गरीबी से मुक्ति
- सार्थक रोजगार के साथ 100% कुशल श्रम बल
- 100% लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा
- 70% महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में संलग्न
- उच्च गुणवत्ता युक्त, वहनीय और समग्र स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाना
- भारत को 'विश्व का फ़ूड बास्केट' बनाने में किसानों की प्रभावी भूमिका

इस बजट में **गरीब, युवा, अन्नदाता** और **नारी** के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कई अन्य विकास उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

विकास का पहला इंजन: कृषि

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना- कृषि जिला विकास कार्यक्रम

- **प्रेरणा: आकांक्षी जिला कार्यक्रम** की सफलता।
- **कवरेज:** मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के अभिसरण के माध्यम से, यह कार्यक्रम **कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम क्रेडिट मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर** करेगा।
- **लक्ष्य: 1.7 करोड़** किसान।

बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धि' और लचीलापन' कार्यक्रम

- इसे **राज्यों के साथ साझेदारी में** लॉन्च किया जाएगा।
- **उद्देश्य: कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी** और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके **कृषि में अल्प-रोजगार की समस्या को दूर करना।**
- **लक्ष्य:** ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना ताकि प्रवासन एक विकल्प हो, लेकिन आवश्यकता नहीं।
- **कवरेज: चरण-1 में, 100 विकासशील कृषि-जिलों** को कवर किया जाएगा।
- **फोकस क्षेत्र: ग्रामीण महिलाएं, युवा किसान, ग्रामीण युवा, सीमांत और लघु किसान एवं भूमिहीन परिवार।**

दालों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने का मिशन

- **अवधि:** 6 वर्ष.
- **फोकस क्षेत्र:** अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालें।
- **उद्देश्य:** अगले 4 वर्षों के दौरान केंद्रीय एजेंसियों (NAFED और NCCF) द्वारा उन किसानों से इन **3 दालों की असीमित खरीद, जो इन एजेंसियों के साथ पंजीकरण करवाते हैं और समझौते में शामिल** होते हैं।

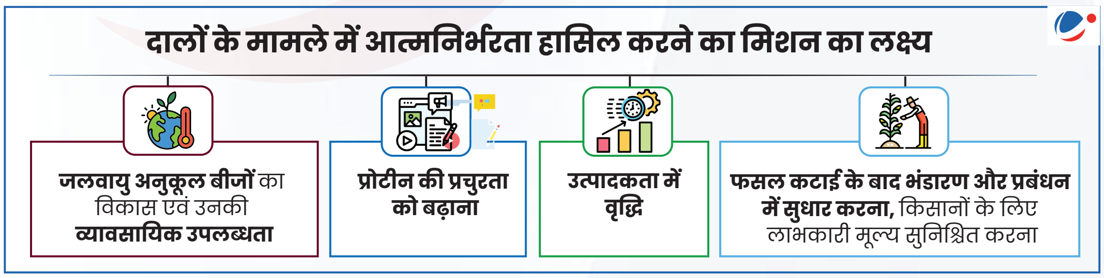

कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच वर्षीय कपास मिशन

- **अवधि:** 5 वर्ष
- **उद्देश्य: कपास की खेती में उत्पादकता और संधारणीयता के स्तर में सुधार** की सुविधा प्रदान करना, और अतिरिक्त-लंबे स्टेपल कपास की किस्मों को बढ़ावा देना।
- कपड़ा क्षेत्रक के लिए **एकीकृत 5F दृष्टिकोण के साथ संरेखित:** '5F' फॉर्मूला में शामिल हैं- **फार्म से फाइबर तक; कारखाने के लिए फाइबर; फैक्ट्री से फैशन तक; फैशन से लेकर विदेश** तक।
    - इससे भारत के पारंपरिक कपड़ा क्षेत्रक को पुनर्जीवित करने के लिए **गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति** सुनिश्चित होगी।

भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र एवं उच्च समुद्री क्षेत्र से मत्स्य उत्पादन के सतत दोहन के लिए रूपरेखा	- **उद्देश्य: समुद्री क्षेत्रक की अप्रयुक्त क्षमता** का दोहन करना
	- **फोकस क्षेत्र:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह
	- **मुख्य तथ्य:**
	    - भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के मामले में विश्व में **दूसरे स्थान पर** है।
	    - भारत के समुद्री खाद्य उत्पादों (Seafood) का निर्यात **60 हजार करोड़ रुपये** मूल्य का है।

अन्य प्रमुख विशेषताएं	- **सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम**
	    - इसे **राज्यों के सहयोग से** शुरू किया जाएगा
	    - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, आपूर्ति श्रृंखला को कुशल बनाना, प्रसंस्करण को सक्षम बनाना और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध करवाना है।
	- **बिहार में मखाना बोर्ड का गठन**
	    - **उद्देश्य:** मखाना के **उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन** में सुधार करना एवं मखाना उत्पादक किसानों को **किसान उत्पादक संगठन (FPO)** के तहत **संगठित करना।**
	- **उच्च उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन:** इसके उद्देश्य हैं-
	    - **अनुसंधान परिवेश को बेहतर बनाना।**
	    - अधिक उपज, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल बीजों का **लक्षित विकास** और **उसका प्रचार-प्रसार करना।**
	    - जुलाई 2024 में जारी किए गए 100+ बीज किस्मों को **वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध करवाना।**
	- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए बेहतर ऋण सुविधा**
	    - **संशोधित ब्याज अनुदान योजना** के तहत ऋण सीमा को **3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक** किया जाएगा।
	    - **मुख्य तथ्य:** KCC के जरिए **7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसान अल्पकालिक ऋण** प्राप्त कर सकते हैं।
	- **असम के नामरूप** में **यूरिया संयंत्र** की स्थापना
	    - भारत में अब तक 5 यूरिया संयंत्रों को पुनर्जीवित किया गया है:
	        - **सिंदरी (झारखंड)**
	        - **बरौनी (बिहार)**
	        - **गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)**
	        - **रामागुंडम (तेलंगाना)**
	        - **तलचर (ओडिशा)**
	- भारतीय डाक, **इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB)** के सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा।
	    - यह एक **सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन** के रूप में कार्य करेगा, जो **विश्वकर्मा के रूप में चिन्हित शिल्पियों, उद्यमियों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और व्यवसायों** को सेवा प्रदान करेगा।
	- सहकारी क्षेत्रक के लिए ऋण संचालन में सहायता प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)** को सहायता दी जाएगी।

विकास का दूसरा इंजन: MSME

संशोधन वर्गीकरण MSMEs के लिए मानदंड	(see table below)

करोड़	निवेश		टर्नओवर	
	मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	संशोधित
सूक्ष्म उद्यम	1	2.5	5	10
लघु उद्यम	10	25	50	100
मध्यम उद्यम	50	125	250	500

गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में वृद्धि

करोड़ में	क्रेडिट गारंटी कवर	
	मौजूदा	संशोधित
SME	5	10
स्टार्ट-अप्स	10	20
निर्यात करने वाले MSMEs	**20 करोड़ रुपये** तक के सावधि ऋण के लिए	

सूक्ष्म उद्योग के लिए क्रेडिट कार्ड्स

- उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए **5 लाख रुपये की सीमा के साथ अनुकूलित क्रेडिट कार्ड्स।**
- पहले वर्ष में **10 लाख कार्ड जारी** किये जायेंगे।

स्टार्ट-अप्स के लिए फंड्स ऑफ़ फंड

- **विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपये के नए योगदान** के साथ एक **नया फंड ऑफ फंड्स** स्थापित किया जाएगा।

पहली बार उद्यमियों के लिए योजना

- इसे महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित **5 लाख पहली बार के उद्यमियों के लिए लॉन्च** किया जाएगा।
- यह **अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण** प्रदान करेगा।

रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए श्रम-सघन क्षेत्रों के लिए उपाय

- **फुटवियर और चमड़ा क्षेत्रक के लिए फोकस उत्पाद योजना:** यह योजना फुटवियर और चमड़ा क्षेत्रक की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए चलाई जाएगी।
  - **विशेषताएं:** गैर-चमड़े और चमड़े के जूते और उत्पादों के उत्पादन के लिए **आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक निर्माण और मशीनरी के लिए सहायता** प्रदान करना।
  - **लक्ष्य: 22 लाख लोगों के लिए रोजगार** उपलब्ध करवाना; 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात करना।
- **भारत को खिलौनों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की योजना:** क्लस्टर्स, कौशल और एक विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास पर ध्यान केंद्रित करना जो **उच्च गुणवत्ता वाले, अद्वितीय, अभिनव और टिकाऊ खिलौने** बनाएगा। ये **'मेड इन इंडिया'** ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे।
  - यह **खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य-योजना** पर आधारित है।
- **खाद्य प्रसंस्करण हेतु सहायता- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी।**
  - इसके परिणामस्वरूप **किसानों की आय में वृद्धि होगी; युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता और रोजगार** के अवसर सृजित होंगे।

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन - "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाना

- **व्यवसाय करने में आसानी और लागत पर ध्यान केंद्रित करना;** मांग आधारित नौकरियों के लिए भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार करना; जलवायु अनुकूल विकास के लिए जीवंत और गतिशील MSME क्षेत्रक, स्वच्छ तकनीक विनिर्माण का विकास करना।
  - यह नीतिगत **समर्थन, निष्पादन रोडमैप, सुशासन आदि प्रदान करके लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों** को कवर करेगा।
- यह मिशन घरेलू मूल्य संवर्धन में सुधार करने और सौर पी.वी. सेल्स, EV बैटरी, मोटर और नियंत्रक, इलेक्ट्रोलाइजर, पवन टरबाइन, अत्यधिक उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरी के लिए घरेलू इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए **क्लीन टेक विनिर्माण** में भी सहायता करेगा।

विकास का तीसरा इंजन: निवेश (लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में)

लोगों में निवेश	➤ **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:** यह आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर के 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। ➤ **अटल टिंकरिंग लैब्स:** अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए जाएंगे। ➤ **ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी: भारतनेट परियोजना** के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी **सरकारी माध्यमिक विद्यालयों** और **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी** प्रदान की जाएगी। ➤ **भारतीय भाषा पुस्तक योजना:** स्कूलों और उच्चतर शिक्षा के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषा की किताबें उपलब्ध कराना। ➤ **कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (CoEs):** "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" विनिर्माण के लिए कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय CoEs स्थापित किए जाएंगे। ➤ **IITs में क्षमता का विस्तार:** 5 IITs में अतिरिक्त अवसंरचना फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। ➤ **AI में उत्कृष्टता केंद्र (CoE):** शिक्षा के लिए AI में CoEs की स्थापना करने के लिए कुल 500 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जाएगा। ▷ केंद्रीय बजट 2023-24 में **कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के विकास** के लिए **AI में 3 COEs** की घोषणा की गई थी। ➤ **चिकित्सा शिक्षा का विस्तार:** अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य की दिशा कदम उठाते हुए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। ➤ **सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर:** अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 2025-26 में ऐसे 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ➤ **शहरी आजीविका को सुदृढ़ बनाना:** शहरी श्रमिकों की आय, आजीविका और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने एवं उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। ➤ **पीएम स्वनिधि:** इस योजना के तहत, बैंकों से प्राप्त होने वाले ऋण में वृद्धि करके एवं 30,000 रुपये तक की सीमा वाले UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड जारी करके एक नया रूप दिया जाएगा। ➤ **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना:** कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए **ई-श्रम पोर्टल के जरिए पहचान-पत्र और पंजीकरण की सुविधा** प्रदान की जाएगी। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान की जाएगी। इस उपाय से लगभग 1 करोड़ गिग-वर्कर्स को सहायता मिलने की उम्मीद है।
अर्थव्यवस्था में निवेश	➤ **अवसंरचना में PPP:** बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रत्येक मंत्रालय पीपीपी मोड में परियोजनाओं की 3 साल की **पाइपलाइन लेकर आएगा।** ▷ राज्यों को PPP प्रस्ताव तैयार करने के लिए **इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (IIPDF)** योजना से समर्थन लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ➤ **अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को सहायता:** राज्यों को 50 साल की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। ➤ **संपत्ति मुद्रीकरण:** नई परियोजनाओं में निवेश के लिए 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने के उद्देश्य से **2025-30 के लिए दूसरी संपत्ति मुद्रीकरण योजना** शुरू की जाएगी। ➤ **जल जीवन मिशन:** इस योजना के तहत 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए, इस मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इसके परिचालन और रखरखाव को **"जन भागीदारी"** के जरिए बढ़ाया जाएगा। ▷ 2019 से अब तक, 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों **(भारत की ग्रामीण आबादी का 80%)** को नल जल कनेक्शन प्राप्त हुआ है। ➤ **शहरी क्षेत्रक में सुधार:** शासन, नगरपालिका सेवाओं, शहरी भूमि और योजना से संबंधित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। ▷ **अर्बन चैलेंज फंड: 'शहरों को विकास केंद्र'** के रूप में विकसित करने, **'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास'** करने **और 'जल और स्वच्छता' के प्रस्तावों** को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा। ➤ **बिजली क्षेत्रक में सुधार:** राज्यों को बिजली वितरण सुधारों के आधार पर उनके GSDP के 0.5 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी। ➤ **विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन:** 2047 तक कम-से-कम 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा का विकास अति आवश्यक है।

- परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
- वर्ष 2033 तक कम-से-कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित SMRs को चालू करने के लिए **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन** शुरू किया जाएगा।

- **पोत निर्माण:** पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा। इसमें **चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारतीय यार्डों में शिप ब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट्स** भी शामिल है।
  - **जहाज निर्माण क्लस्टर्स** को मदद दी जाएगी।
- **समुद्री विकास कोष:** समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्त-पोषण हेतु 25,000 करोड़ रुपये के कोष की स्थापना की जाएगी।
  - इसमें **सरकार का 49% तक योगदान** होगा और **शेष बंदरगाहों एवं निजी क्षेत्रक की मदद से** जुटाया जाएगा।
- **उड़ान - क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना:** संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्य जोड़े जाएंगे। इससे 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को यात्रा सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
- **बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा:** पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा और बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा।
- **मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना:** इससे 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती हो सकेगी।
- **खनन क्षेत्रक में सुधार:** सर्वोत्तम खनन प्रथाओं को साझा करने और लघु खनिजों सहित राज्य खनन सूचकांक की स्थापना के जरिए खनिज क्षेत्रक में सुधार किए जाएंगे।
  - **अपशिष्ट पदार्थों से क्रिटिकल मिनरल्स की प्राप्ति** के लिए एक नीति लाई जाएगी।
- **SWAMIH फंड 2:** किफायती और मध्यम-आय आवास के लिए विशेष विंडो (SWAMIH) के तहत 40,000 इकाइयां 2025 में पूरी की जाएगी।
- **निजी क्षेत्रक के लिए पीएम गति शक्ति डेटा:** PPPs को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाते हुए, निजी क्षेत्रक को पीएम गति शक्ति पोर्टल से प्रासंगिक डेटा और मानचित्र प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।
- **रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन:** राज्यों के साथ साझेदारी में देश के **शीर्ष 50 पर्यटन स्थल** विकसित किए जाएंगे।
  - **रोजगार-आधारित विकास** को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:
    - गहन कौशल-विकास कार्यक्रम आयोजित करना;
    - होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना;
    - यात्रा और कनेक्टिविटी में आसानी में सुधार;
    - प्रभावी गंतव्य प्रबंधन के लिए राज्यों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करना,
    - वीज़ा-शुल्क में छूट के साथ-साथ व्यवस्थित ई-वीजा सुविधा शुरू करना।
  - **भगवान बुद्ध** के जीवन और काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान देना।
  - **भारत में मेडिकल टूरिज्म और हील:** इसे निजी क्षेत्रक के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा।

नवाचार में निवेश

- **अनुसंधान, विकास और नवाचार:** निजी क्षेत्रक द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।
- **डीप टेक फंड ऑफ फंड्स:** इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने करना है।
- **पीएम रिसर्च फेलोशिप:** IITs और IISc में तकनीकी अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ 10,000 फेलोशिप का प्रावधान किया गया है।
- **फसलों के जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक:** भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइन वाला दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा।
  - भारत का **पहला जीन बैंक 1996 में** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBPGR) द्वारा **नई दिल्ली में स्थापित** किया गया था।
- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन:** इसके तहत मूलभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा का विकास करना, और भूमि रिकॉर्ड, शहरी नियोजन और अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- **ज्ञान भारतम मिशन:** इसके जरिए 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करने के लिए हमारी पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण किया जाएगा।
- ज्ञान को साझा करने के लिए, **भारतीय ज्ञान प्रणालियों का राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह** स्थापित किया जाएगा।

विकास का चौथा इंजन: निर्यात

निर्यात संवर्धन मिशन	➤ **वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय** द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। ➤ क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ **निर्यात ऋण तक आसान पहुंच व क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा** प्राप्त होगी। साथ ही **MSMEs को विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ समस्याओं का सामना करने में मदद** मिलेगी।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 'भारत ट्रेडनेट' (BTN)	➤ व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त-पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफार्म के रूप में **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना** का प्रस्ताव किया गया है। ➤ इसे **यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म** के पूरक के रूप में स्थापित किया जाना है। ➤ BTN को **अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के साथ सुसंगत** बनाया जाएगा।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण हेतु सहायता	➤ **पहचान किए गए क्षेत्रकों की घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास हेतु सहायता** प्रदान की जाएगी। ➤ **चुनिंदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं** के लिए अधिकारियों व उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ **सुविधा समूह** गठित किए जाएंगे। ➤ **इंडस्ट्री 4.0 के अवसरों का लाभ उठाने** के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान की जाएगी।
वैश्विक क्षमता केंद्रों (Global Capability Centres: GCC) के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क	➤ यह **टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) को बढ़ावा** देने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन करेगा। ➤ यह फ्रेमवर्क **प्रतिभा, अवसंरचना, भवन-उपनियम सुधारों के लिए उपाय और उद्योगों के साथ सहयोग** पर ध्यान केंद्रित करेगा।
एयर कार्गो के लिए भंडारगृह की सुविधा	➤ उच्च मूल्य वाले के शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित **एयर कार्गो के लिए अवसंरचना और भंडारगृह को बेहतर बनाने की सुविधा** दी जाएगी। ➤ **कार्गो स्क्रीनिंग और सीमा शुल्क प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित** तथा उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाया जाएगा।

ईंधन के रूप में सुधार

सुधारों को इंजन के **ईंधन के रूप** में परिभाषित करते हुए वित्त मंत्री ने निम्नलिखित नए सुधार प्रस्तुत किए:

कर सुधार

- वित्त मंत्री ने कर प्रशासन में **"पहले विश्वास, बाद में जांच"** संबंधी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है।
- वित्त मंत्री ने **पिछले दशक के प्रमुख सुधारों** (इन्फोग्राफिक देखें) पर भी प्रकाश डाला, जिसने अनुपालन को सरल बना दिया है।
- इन प्रयासों के आधार पर, **अप्रत्यक्ष कर सुधार और प्रत्यक्ष करों में किए जाने वाले परिवर्तन प्रस्तुत किए गए** (विवरण के लिए भाग B देखें)।

वित्तीय क्षेत्रक में सुधार एवं विकास

- **बीमा क्षेत्रक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI):** अपने संपूर्ण प्रीमियम का निवेश भारत में ही करने वाली कंपनियों के लिए FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा।
- **पेंशन क्षेत्रक:** पेंशन उत्पादों में विनियामकीय समन्वय और विकास के लिए फोरम की स्थापना की जाएगी।
- **KYC सरलीकरण:** 2025 में **संशोधित केंद्रीय KYC रजिस्ट्री शुरू की जाएगी** और समय-समय पर इसे अपडेट करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली भी लागू की जाएगी।
- **कंपनियों का विलय:** फास्ट-ट्रैक विलय के दायरे का भी विस्तार किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
- **द्विपक्षीय निवेश संधियां (BIT):** 2024 में दो देशों (उज़्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात) के साथ BIT पर हस्ताक्षर किए गए, हालांकि इन देशों के साथ BIT अभी लागू नहीं हुआ हैं। 'फर्स्ट डेवलप इंडिया' की भावना से मौजूदा मॉडल BIT में सुधार करके इसे और अधिक निवेशक अनुकूल बनाया जाएगा।

अन्य सुधारों की घोषणा

- **NaBFID अवसंरचना के लिए कॉर्पोरेट बॉण्ड हेतु आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा।**
- ग्रामीण क्षेत्रों में **इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।**
- **सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर विकसित करेंगे।**

विनियामकीय सुधार

- पुराने कानूनों के तहत बनाए गए नियमों को अपडेट करने के लिए **लाइट-टच विनियामक फ्रेमवर्क** (स्व-नियमन पर जोर) प्रस्तावित किया गया है।
- 21वीं सदी के लिए उपयुक्त इस **आधुनिक, लचीले, जन उपयोगी और विश्वास-आधारित विनियामक फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए 4 विशिष्ट उपाय प्रस्तावित** किए गए थे।

लाइट-टच विनियामक फ्रेमवर्क: 4 प्रमुख उपाय

विनियामक सुधारों हेतु उच्च स्तरीय समिति	राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक	वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC)	जन विश्वास विधेयक 2
• सभी गैर-वित्तीय क्षेत्रक सबंधी विनियमनों, प्रमाणनों, लाइसेंस की समीक्षा करना • एक वर्ष के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना	• इसे 2025 में शुरू किया जाएगा • यह प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देगा	• वर्तमान वित्तीय विनियमनों के प्रभाव का मूल्यांकन करना • जवाबदेही को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्रक के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना	• 100 से ज़्यादा प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाना • जन विश्वास अधिनियम 2023 का पालन किया जाएगा, जिसके तहत 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-आपराधिक घोषित कर दिया गया है

भाग B

अप्रत्यक्ष कर

औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना	➤ टैरिफ दरों को हटाना, मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व को बनाए रखने के लिए उचित उपकर लगाना, एक से अधिक उपकर या अधिभार नहीं लगाना तथा अनेक टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट प्रदान करना।
औषधियों/ दवाओं का आयात	➤ **औषधियों/ दवाओं के आयात पर छूट:** 36 जीवनरक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा-शुल्क (BCD) से पूरी तरह से छूट दी गई है, तथा 6 अन्य जीवनरक्षक औषधियों को 5% के रियायती सीमा-शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे कैंसर, दुर्लभ रोग तथा दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को लाभ होगा। ➤ **रोगी सहायता कार्यक्रम:** 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ-साथ 37 अन्य दवाओं को बुनियादी सीमा-शुल्क (BCD) से छूट मिलेगी।
घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता	➤ **महत्वपूर्ण खनिज:** कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, सीसा, जस्ता आदि पर बुनियादी सीमा-शुल्क (BCD) से छूट दी जाएगी। ➤ **वस्त्र:** तकनीकी वस्त्रों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से छूट प्राप्त वस्त्र मशीनरी की सूची में शटल-रहित करघों को शामिल करने के दो और प्रकारों का प्रस्ताव किया गया। ➤ **इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं:** प्रतिलोम शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPD) पर BCD में वृद्धि की गई, ओपन सेल और अन्य घटकों पर BCD को कम किया गया। ▷ **लिथियम आयन बैटरी:** इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण को अतिरिक्त छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में शामिल किया जाएगा। ➤ **पोत परिवहन क्षेत्रक:** जहाजों के विनिर्माण और तोड़ने के लिए कच्चे माल, घटकों, उपभोज्यों या पुर्जों पर BCD से छूट को अगले 10 वर्षों तक जारी रखा गया।
निर्यात संवर्धन	➤ **हस्तशिल्प वस्तुएं:** शुल्क मुक्त इनपुट की सूची में नौ और मदों को शामिल करने का प्रस्ताव। ➤ **चमड़ा क्षेत्रक:** घरेलू मूल्यवर्धन और रोजगार के लिए आयात को सुविधाजनक बनाने हेतु वेट ब्लू लेदर को BCD से पूर्ण छूट। ➤ **समुद्री उत्पाद:** वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) पर BCD को 30% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। ➤ **रेलवे से जुड़ी वस्तुओं के लिए घरेलू रख-रखाव, मरम्मत और संचालन (MROs):** रेलवे से जुड़ी वस्तुओं के लिए घरेलू MROs के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयातित विदेशों में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात की समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई।
व्यापार सुविधा	➤ **प्रोविजनल कर-निर्धारण की समय-सीमा:** वर्तमान में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में प्रोविजनल कर-निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए किसी समय-सीमा का प्रावधान नहीं है। इसलिए इसके लिए दो वर्ष की समय-सीमा तय करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ➤ **स्वैच्छिक अनुपालन:** एक नया प्रावधान आयातकों/ निर्यातकों को स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा करने और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देता है। इससे स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। यह प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा, जिनमें विभाग पहले से ही लेखापरीक्षा या अन्वेषण कार्यवाही शुरू कर चुका है। ➤ **अंतिम उपयोग की समय-सीमा का विस्तार:** उद्योगों को योजना बनाने में सहायता के लिए, आयातित इनपुट हेतु अंतिम उपयोग की समय-सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया और तिमाही विवरण दाखिल करने की आवश्यकताओं को कम कर दिया गया।

प्रत्यक्ष कर

- **नया आयकर विधेयक:** सरकार प्रावधानों को सरल और उत्तरदायी बनाकर सुशासन सुनिश्चित करने के लिए "न्याय" की इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए विधेयक पेश करेगी।
- **स्रोत पर कर कटौती (TDS)/ स्रोत पर कर संग्रह (TCS) को तर्कसंगत बनाना**
  - **दरों में कमी:** कर स्पष्टता के लिए उच्च सीमा के साथ दरों और सीमा को कम करके TDS को तर्कसंगत बनाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई, और किराए पर TDS बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया। इससे छोटे करदाता लाभान्वित होंगे।
  - **प्रेषण पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) एकत्र करने की सीमा:** RBI की उदारीकृत धनप्रेषण योजना (LRS) के तहत इसे 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।
  - **गैर-अपराधीकरण:** विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक TCS के भुगतान में विलंब के लिए छूट प्रदान करना गैर-अपराधिक बना दिया गया।
  - **स्वैच्छिक अनुपालन:** उन करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को वर्तमान दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष करने का प्रस्ताव है, जिन्होंने अपनी सही आय की सूचना देने में चूक की हो।
- **व्यापार करने में सुगमता**
  - **अंतरण मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बनाना:** एक विकल्प मुहैया करने हेतु 3 वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के मामलों में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी जाएगी।
  - **सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार किया गया:** अंतर्राष्ट्रीय कराधान में विवादों को कम करने और निश्चितता को बनाए रखने की दृष्टि से विस्तार किया गया है।
  - **वरिष्ठ नागरिकों को आहरण पर छूट:** वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 29 अगस्त, 2024 या उसके बाद पुराने राष्ट्रीय बचत स्कीम (NSS) खातों से किए गए आहरण पर छूट प्रदान की जाएगी। NPS वात्सल्य खातों को एक सीमा के भीतर सामान्य NPS खातों के समान माना जाएगा।
- **रोजगार और निवेश**
  - **कर निश्चितता:** इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियों को सेवाएं प्रदान करने वाले अनिवासियों के लिए एक प्रकल्पित कराधान व्यवस्था शुरू की जाएगी और अवसंरचना क्षेत्रक के AIF में कराधान लागू किया जाएगा।
  - **अंतर्देशीय जलयान के लिए टन भार कर स्कीम:** भारतीय जलयान अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है।
  - **स्टार्ट-अप्स के निगमन के लिए विस्तार:** 01 अप्रैल, 2030 से पहले निगमित होने वाले स्टार्ट-अप्स के लिए निगमन की अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC):** IFSC में स्थापित वैश्विक कंपनियों की जलयान-लीजिंग इकाइयों, बीमा कार्यालयों और ट्रेजरी केंद्रों के लिए विशिष्ट लाभ का प्रस्ताव किया गया है।
  - **सॉवरेन और पेंशन निधियों के लिए निवेश की तिथि का विस्तार:** अवसंरचना क्षेत्रक में सॉवरेन धन निधियों और पेंशन निधियों के लिए निवेश करने की अवधि पांच वर्ष तक बढ़ा दी गई है।
- **मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए वैयक्तिक आयकर सुधार**
  - **नई कर व्यवस्था में छूट:** नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आय कर देय नहीं होगा।
  - **मानक कटौती:** इस सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया।
  - नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित **कर दर स्लैब** निम्नलिखित हैं:

0-4 लाख रुपये	शून्य
4-8 लाख रुपये	5%
8-12 लाख रुपये	10%
12-16 लाख रुपये	15%
16-20 लाख रुपये	20%
20- 24 लाख रुपये	25%
24 लाख रुपये से अधिक	30%

शब्दावली

बुनियादी सीमा-शुल्क	बुनियादी सीमा-शुल्क से तात्पर्य उस कर से है जो **माल पर तब लगाया जाता है जब उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार ले जाया जाता** है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क लगाया जाता है।
किसान उत्पादक संगठन (FPOs)	**FPOs** से तात्पर्य कंपनी अधिनियम के भाग IXA या सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठन से है, जिसका गठन कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन और विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया है।
वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs)	GCC ऑफशोर सुविधाएं हैं जो **बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) को उनके व्यवसाय संचालन का प्रबंधन करने में मदद** करती हैं। इन्हें ग्लोबल इन-हाउस सेंटर (GICs) या कैप्टिव सेंटर के नाम से भी जाना जाता है।
उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS)	LRS, भारतीय रिजर्व बैंक की एक योजना है जो भारतीय निवासियों को व्यक्तिगत कारणों से विदेश में पैसा भेजने की अनुमति देती है। यह योजना 2004 में शुरू की गई थी ताकि विभिन्न कारणों से लोगों के लिए विदेश में पैसा भेजना आसान हो सके।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत में **पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित एक परिभाषित-अंशदान पेंशन प्रणाली** है जो वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है।
सेफ हार्बर नियम	इस खंड के तहत, एक फंड को छूट दी जाएगी यदि उसका भारत में कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है।
छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs)	SMRs एडवांस परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट (e) प्रति यूनिट तक है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग एक तिहाई है।
स्रोत पर एकत्रित कर (TCS)	TCS वह कर है जो **विक्रेताओं द्वारा खरीदारों को कुछ बेचते समय प्राप्त किया जाता** है।
स्रोत पर कर कटौती (TDS)	TDS वह कर है जो **किसी कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को किए गए भुगतान पर लिया जाता है,** यदि राशि एक निश्चित सीमा से अधिक हो।
वेट ब्लू लेदर	यह कच्चे लेदर को संदर्भित करता है जिसे क्रोमियम लवण और क्रोमियम सल्फेट का उपयोग करके बालों को हटा कर रंगा गया है।

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद 109	धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद 110	धन विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद 112	वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 113	संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
अनुच्छेद 114	विनियोग विधेयक
अनुच्छेद 115	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद 116	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
अनुच्छेद 117	वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान
अनुच्छेद 150	संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप
अनुच्छेद 151	लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
अनुच्छेद 265	कानून के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाए जाने चाहिए
अनुच्छेद 266	संघ और राज्यों की संचित निधि और सार्वजनिक खाते
अनुच्छेद 267	आकस्मिक निधि
अनुच्छेद 275	संघ से कुछ राज्यों को अनुदान
अनुच्छेद 280	वित्त आयोग
अनुच्छेद 281	वित्त आयोग की सिफारिशें
अनुच्छेद 292	भारत सरकार द्वारा उधार लेना

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI: 11 FEB, 8 AM | 21 FEB, 11 AM | 18 FEB, 2 PM | 25 FEB, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 8 FEB, 8 AM | 6 JAN, 8 AM

हिन्दी माध्यम | DELHI: 4 फरवरी, 11 AM

AHMEDABAD: 4 JAN | BENGALURU: 18 FEB | BHOPAL: 25 FEB | CHANDIARH: 18 JUN

HYDERABAD: 12 FEB | JAIPUR: 18 FEB | LUCKNOW: 11 FEB | PUNE: 20 JAN

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 4 फरवरी, 11 AM | JAIPUR: 18 फरवरी | JODHPUR: 3 दिसंबर | प्रवेश प्रारम्भ BHOPAL | LUCKNOW

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
79
in TOP 100 Selections in CSE 2023
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Aditya Srivastava
2 AIR Animesh Pradhan
5 AIR Ruhani
6 AIR Srishti Dabas
7 AIR Anmol Rathore
9 AIR Nausheen
10 AIR Aishwaryam Prajapati
हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में
हिंदी माध्यम टॉपर
53 AIR मोहन लाल
136 AIR अर्पित कुमार
238 AIR विपिन दुबे
257 AIR मनीषा धार्वे
313 AIR मयंक दुबे
517 AIR देवेश पाराशर
UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें
53 AIR मोहन लाल
TOPPERS' TALK
UPSC CSE 2026 सामान्य अध्ययन
UPSC Prelims 2025 10 years PYQ
Master Classes Series करेंट अफेयर्स
HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/@visioniashindi
/visionias.upsc
/vision_ias_hindi/
/hindi_visionias
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ़
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
राँची